

राजस्थान सरकार

निदेशालय, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, सेवायें, राजस्थान, जयपुर  
क्रमांक:ई/चि.अ./एन-714/2024/ दिनांक :

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी,  
सीकर।

**विषय:** डॉ0 नरेश कुमार पारीक, बीसीएमओं का अवकाश प्रकरण के निस्तारण के सम्बन्ध में।

**संदर्भ:** आपका पत्रांक 16 दिनांक 12.01.2024 के क्रम में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत सन्दर्भित पत्र द्वारा डॉ0 नरेश कुमार पारीक, बीसीएमओं खण्डेला का दिनांक 24.02.2013 से 18.07.2013 कुल 145 दिवस एवं दिनांक 09.12.2016 से 14.12.2017 कुल 371 दिवस का अवकाश स्वीकृत हेतु प्रस्ताव निदेशालय को प्रेषित किया गया है।

आरएसआर नियम 86(1) के अनुसार स्वेच्छा से अनुपस्थित के प्रकरण में अनुपस्थिति की अवधि को या तो देय अवकाश या असाधारण अवकाश स्वीकृत करके नियमित किया जा सकता है। विचाराधीन प्रकरण में लम्बी अवधि की अनुपस्थिति को ध्यान में रखते हुए सम्पूर्ण अनुपस्थिति अवधि के लिये असाधारण अवकाश स्वीकृत किया जा सकता है।

अतः डॉ0 नरेश कुमार पारीक, बीसीएमओं खण्डेला का अवकाश स्वीकृत हेतु संशोधित अवकाश आवेदन भिजवाया जाना सुनिश्चित करावें।

अति0 निदेशक (राजपत्रित)  
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें  
राजस्थान, जयपुर।

दिनांक : 03/05/2024

क्रमांक:ई/चि.अ./एन-714/2024/153

प्रतिलिपि: निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. निजी सचिव, श्रीमान निदेशक (जन स्वास्थ्य), मुख्यालय।
2. संयुक्त निदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, जोन जयपुर।
3. प्रभारी राजहैल्थ पोर्टल अनुभाग, मुख्यालय।
4. प्रभारी सर्वर रूम मुख्यालय को संबंधित को ई-मेल एवं विभागीय बेवसाईट पर अपलोड वास्ते।
5. रक्षित पत्रावली।

RajKaj Ref  
6842931



Signature valid

Digitally signed by Raj Prakash  
Sharma  
Designation: Additional Director  
Date: 2024.05.02 15:01:17 IST  
Reason: Approved

राजस्थान सरकार

निदेशालय, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, सेवायें, राजस्थान, जयपुर  
क्रमांक: ई/चि.अ./आर-1781/2024/ दिनांक :

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी,  
जोधपुर।

**विषय:** डॉ० रघुवीर राम धतरवास, व.चि.अ., सीएचसी बापिणी जोधपुर के सम्बन्ध में।

**संदर्भ:** आपका पत्रांक 5281-86 दिनांक 13.12.2023 के क्रम में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत सन्दर्भित पत्र के क्रम में लेख है कि डॉ० रघुवीर राम धतरवास, व.चि.अ., सीएचसी बापिणी जोधपुर का एपीओ अवधि के नियम हेतु निम्न आक्षेप की पूर्ती कर निदेशालय को भिजवाया जाना सुनिश्चित करावे:-

1. आयुक्त चिकित्सा शिक्षा में उपस्थिति दौरान दिनांक 11.06.2022 से 16.10.2022 का अवकाश विवरण अपेक्षित है।
2. निदेशालय में उपस्थिति दौरान दिनांक 27.10.2022 से 04.11.2022 लिये गये अवकाश का आवेदन पत्र अपेक्षित है।

अति० निदेशक (राजपत्रित)  
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें  
राजस्थान, जयपुर।

दिनांक : 03/05/2024

क्रमांक: ई/चि.अ./आर-1781/2024/152

प्रतिलिपि: निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. निजी सचिव, श्रीमान निदेशक (जन स्वास्थ्य), मुख्यालय।
2. संयुक्त निदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, जोधपुर।
3. प्रभारी राजहैल्थ पोर्टल अनुभाग, मुख्यालय।
4. प्रभारी सर्वर रूम मुख्यालय को संबंधित को ई-मेल एवं विभागीय वेबसाईट पर अपलोड वास्ते।
5. रक्षित पत्रावली।

RajKaj Ref  
6844577



Signature valid

Digitally signed by Raj Prakash  
Sharma  
Designation : Additional Director  
Date: 2024.05.02 14:43:04 IST  
Reason: Approved

राजस्थान सरकार

निदेशालय, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, सेवायें, राजस्थान, जयपुर  
क्रमांक:ई/चि.अ./एन-1151/2024/ दिनांक :

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी,  
दूदू।

**विषय:** डॉ० नितिन कुमार नैनीवाल, चि.अ., पीएचसी सेवा, खण्ड मौजमाबाद, जिला दूदू के सम्बन्ध में।

**संदर्भ:** आपका पत्रांक 82 दिनांक 05.09.2023 के क्रम में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत सन्दर्भित पत्र द्वारा डॉ० नितिन कुमार नैनीवाल, चि.अ., पीएचसी सेवा, खण्ड मौजमाबाद, जिला दूदू का एपीओं अवधि के नियम के प्रस्ताव निदेशालय को प्रेषित किये गये है।

अतः चिकित्सक के एपीओं अवधि के पश्चात दिनांक 10.09.2020 से 20.10.2020 की अवधि में लिये गये अवकाश का मुख्यालय छोड़ने की सक्षम अनुमति एवं चिकित्सा प्रमाण पत्र के साथ ओवदन पत्र निदेशालय को भिजवाया जाना सुनिश्चित करावें।

अति० निदेशक (राजपत्रित)  
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें  
राजस्थान, जयपुर।

दिनांक : 03/05/2024

क्रमांक:ई/चि.अ./एन-1151/2024/151

प्रतिलिपि: निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. निजी सचिव, श्रीमान निदेशक (जन स्वास्थ्य), मुख्यालय।
2. संयुक्त निदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, जोन जयपुर।
3. प्रभारी राजहैल्थ पोर्टल अनुभाग, मुख्यालय।
4. प्रभारी सर्वर रूम मुख्यालय को संबंधित को ई-मेल एवं विभागीय बेवसाईट पर अपलोड वास्ते।
5. रक्षित पत्रावली।

RajKaj Ref  
6850078



Signature valid

Digitally signed by Raj Prakash  
Sharma  
Designation: Additional Director  
Date: 2024.05.02 14:41:28 IST  
Reason: Approved

राजस्थान सरकार

निदेशालय, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, सेवायें, राजस्थान, जयपुर  
क्रमांक:ई/चि.अ./आर-1911/2024/ दिनांक :

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी,  
धौलपुर।

विषय: डॉ0 राजवीर बसु, चिकित्सा अधिकारी, के स्वैच्छा से अनुपस्थित के संबंध में।

संदर्भ: निदेशालय के पत्रांक 126 दिनांक 04.02.2020 एवं राजकाज 5142324 दिनांक 07.12.2023 के क्रम में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्रों द्वारा डॉ0 राजवीर बसु, चिकित्सा अधिकारी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र बरौली के 2014 में पीजी पूर्ण होने के उपरान्त 09 वर्ष पश्चात पुनः कार्यग्रहण कराने के संबंध में सूचना चाही गयी थी, जो आज दिनांक तक अपेक्षित है।

अतः वांछित सूचना शीघ्र भिजवाया जाना सुनिश्चित करावें, ताकि प्रकरण में अग्रिम कार्यवाही की जा सके।

अति0 निदेशक (राजपत्रित)  
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें  
राजस्थान, जयपुर।

क्रमांक:ई/चि.अ./आर-1911/2024/150

दिनांक : 03/05/2024

प्रतिलिपि: निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. निजी सचिव, श्रीमान निदेशक (जन स्वास्थ्य), मुख्यालय।
2. संयुक्त निदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, जोन भरतपुर।
3. प्रमुख चिकित्सा अधिकारी धौलपुर को भेजकर लेख है कि आपके पत्रांक 1829 दिनांक 21.11.2023 द्वारा चिकित्सक को दिनांक 08.11.2022 से राज्य सेवा से अनुपस्थित दर्शाते हुए चिकित्सक त्याग पत्र स्वीकृत करने हेतु प्रस्ताव प्रेषित किये हैं, निदेशालय में उपलब्ध रिकार्डनुसार चिकित्सक वर्ष 2014 से अनुपस्थित है अतः चिकित्सक को राज्य सेवा में पुनः कार्यग्रहण कराये जाने संबंधी आदेश की प्रति एवं चिकित्सक के अनुपस्थित रहने के संबंध में की गयी कार्यवाही से अवगत करावे।
4. प्रभारी सर्वर रूम मुख्यालय को संबंधित को ई-मेल एवं विभागीय बेवसाईट पर अपलोड वास्ते।

RajKaj Ref  
6890102



Signature valid

Digitally signed by Raj Prakash  
Sharma  
Designation: Additional Director  
Date: 2024.05.02 10:46:52 IST  
Reason: Approved